

३३  
५६

प्राणवली घडा ~~के~~ है ~~बालक~~ घडाका उप ~~के~~  
नघे है याकी आधी ० एवम् याकी ~~सप~~ ~~के~~  
आवास लडावापी गरी ~~परन्तु~~ उप ० नघे है  
का - का आवास लडावाये ~~जाते के~~ ~~वाक्य~~

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व जो वि तामीत
---------------	-----------------------------------	---------------------------

उपरोक्त नहीं हुए। शामिल मूल काफ काफ के  
 अदक अदक पैसी एक अदक काफरी में  
 खारीज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रावधान  
 का 212 का अर्थ को भागे उल्लेख करने का  
 कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः प्रावधान का  
 212 का अर्थ को 8 की तरफ पर खारीज  
 किया जाता है। न्यायालय द्वारा  
 जारी स्वगत आदेश संख्या 22/16 दिनांक  
 18/03/2016 को निरस्त किए जाने के आदेश  
 प्राप्त किए जाते हैं। प्रावधान में अब कोई  
 कार्यवाही शेष नहीं बचे है। फिलहाल मुद्दा  
 खोला शामिल अदक को।  
 निर्णय आज दिनांक 23/02/2016 को  
 भरे राजलाल मुसापा गया। 